ई0–मेल महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्सक कल्याण, उ0प्र0,
620–इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
2–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।

पत्रॉकः 853 /अ0सं0क0नि0–982/पूर्वदशम छा0/2019–20 दिनॉकः 13 जून, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2019–20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9–10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठयकमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–137/2019 /2125 /26–3–2019–4(215)/90टी0सी0III दिनांक 04.06.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** जो निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 एवं निदेशक जनजाति विकास उ0प्र0 को सम्बोधित एवं अन्य अधिकारियों के साथ–साथ अद्योहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2019–20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9–10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठयकमों का मास्टर डाटा बेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु समय–सारणी निर्गत की गयी है।

सोशल सेक्टर के अधीन समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सामान रूप से संचालित राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त संलग्न समय–सारणी का अपने स्तर से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए सुंसगत छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र–2019–20 में पूर्वदशम योजना का कियान्वयन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त समय–सारणी विभागीय वेबसाइट minoritywelfare.up.nic.in पर एवं एन0आई0सी0 की वेबसाइट scholarship.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रति वर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यकम करते हुए आयोजित किये जाने के निर्देश हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.06.2019 द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्गत समय–सारणी में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करते हुए जनपद स्तर पर शासन की मंशा के अनुरूप नियमानुसार समयान्तर्गत प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे अभीष्ट प्राथमिकता प्रदान की जाय।

संलग्नक यथोपरिः

भवदीय

(मनोज सिंह)
निदेशक

पृष्ठॉकन संख्या व दिनॉक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनु0–3, उ0प्र0 शासन पत्र सं0–137/2019 /2125 /26–3–2019–4(215)/90टी0सी0III दिनांक 04.06.2019 के क्रम में।

2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) तृतीय तल योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त उप निदेशक/मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

(मनोज सिंह)
निदेशक

ई0–मेल महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्सक कल्याण, उ0प्र0,
620–इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
2–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।

पत्रॉक: 853 / अ0सं0क0नि0–982 / पूर्वदशम छा0 / 2019–20 दिनॉक: 13 जून, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र–2019–20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9–10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठयकमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–137 / 2019 / 2125 / 26–3–2019–4(215) / 90टी0सी0III दिनांक 04.06.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** जो निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 एवं निदेशक जनजाति विकास उ0प्र0 को सम्बोधित एवं अन्य अधिकारियों के साथ–साथ अद्योहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र–2019–20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9–10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठयकमों का मास्टर डाटा बेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु समय–सारणी निर्गत की गयी है।

सोशल सेक्टर के अधीन समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सामान रूप से संचालित राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त संलग्न समय–सारणी का अपने स्तर से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए सुंसगत छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र–2019–20 में पूर्वदशम योजना का कियान्वयन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त समय–सारणी विभागीय वेबसाइट minoritywelfare.up.nic.in पर एवं एन0आई0सी0 की वेबसाइट scholarship.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री / जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रति वर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यकम करते हुए आयोजित किये जाने के निर्देश हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.06.2019 द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्गत समय–सारणी में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करते हुए जनपद स्तर पर शासन की मंशा के अनुरूप नियमानुसार समयान्तर्गत प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे अभीष्ट प्राथमिकता प्रदान की जाय।

संलग्नक यथोपरिः

भवदीय

(मनोज सिंह)
निदेशक

पृष्ठॉकन संख्या व दिनॉक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनु0–3, उ0प्र0 शासन पत्र सं0–137 / 2019 / 2125 / 26–3–2019–4(215) / 90टी0सी0III दिनांक 04.06.2019 के क्रम में।

2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) तृतीय तल योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त उप निदेशक/मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

(मनोज सिंह)
निदेशक

संख्या-137/2019/2125/26-3-2019-4(215)/90 टी.सी. III

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2— निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 04 जून ~~मई~~ 2019

विषयः **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र– 2019-20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

375
10/6/19

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-399/स0क0/शिक्षा-अ/3/2019-20, दिनांक-09.05.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2019-20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन करने, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण के लिये प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

Shri Sharma
Shri Sunil

2— इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2019-20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2019-20 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3— उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यक्रम करते हुये आयोजित किया जाना है। तत्क्रम में वर्ष 2019-20 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी का प्रस्ताव है :—

10/6/19
JD (RPS)

पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन एवं लाक करने तथा छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण हेतु प्रस्तावित

समय-सारिणी 2019-20

क0सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 9-10 हेतु
	मास्टर डाटा के सम्बन्ध में	
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	01 जून 2019 से 15 जुलाई 2019 तक

D.P Dwivedi g.o

2	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों में स्वीकृत सीटो की संख्या एवं पाठ्यक्रम आदि की प्रमाणिकता को शत–प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना।	16 जुलाई 2019 से 16 अगस्त 2019 तक।
	आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में	
3	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र–छात्राओं हेतु 01 जुलाई से 10 सितम्बर 2019 तक अनवरत जारी रहेगा।)	01 जुलाई से 10 अगस्त 2019 तक
4	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
5	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 16 अगस्त 2019 तक।
6	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से तक 22 अगस्त 2019 तक।
7	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एव छात्रो का भौतिक सत्यापन किया जाना।	01 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2019 तक
8	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9–10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	30 अगस्त 2019 तक
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र मे अंकित आधार नम्बर का मिलान किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	23 अगस्त से 02 सितम्बर 2019 तक
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	03 सितम्बर से 12 सितम्बर 2019 तक
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माग सृजित कराना।	15 सितम्बर 2019 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	20 सितम्बर 2019 तक
13	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना (नोटः–01 जुलाई से 10 अगस्त, 2019 तक आवेदन करने वाले एव	02 अक्टूबर 2019

D.P Dwivedi g.o

	02 जुलाई से 22 अगस्त 2019 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्रों को ही 02 अक्टूबर 2019 को भुगतान हेतु डाटा में शामिल किया जायेगा।)	
	कक्षा 9–10 के अवशेष नवीन (Fresh) तथा नवीनीकरण (Renewal) के छात्र–छात्राओं हेतु।	
14	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 10 सितम्बर 2019 तक
15	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
16	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 17 सितम्बर 2019 तक
17	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से 24 सितम्बर 2019 तक
18	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	30 सितम्बर 2019 तक
19	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई मे निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2019 तक
20	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2019 तक
21	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियो को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था मे जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 31 अक्टूबर 2019 तक।
22	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का शिक्षण संस्थान द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	17 अक्टूबर से 03 नवम्बर 2019 तक
23	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	04 नवम्बर से 10 नवम्बर 2019 तक
24	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	25 नवम्बर 2019 तक।
25	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	05 दिसम्बर 2019 तक
26	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत	15 दिसम्बर 2019 तक

	PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	
27	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2020

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019–20 में पूर्वदशम योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

पृ0सं0–137/2019/2125 (1)/26–3–2019 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/ नियोजन/मा0शिक्षा, उ0प्र0शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव ।

D.P Dwivedi g.o

	PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	
27	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2020

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019–20 में पूर्वदशम योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

<u>पृ0सं0–137/2019/2125 (1)/26–3–2019 तद्दिनांक:–</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/ नियोजन/मा0शिक्षा, उ0प्र0शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 <u>द्वारा</u> निदेशक, समाज कल्याण।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव।